# <u>न्यायालय :— प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग—2 , बड़वानी म.प्र.</u> (पीठासीन अधिकारी:— मनोज कुमार गोयल)

नियमित व्यवहार वाद 'अ' क्रमांक : 1400035 / 2016 संस्थित दिनांक : 08.09.2016

पहाड्सिंग पिता कर्मी, आयु–70 वर्ष,
 व्यवसाय– कृषि,निवासी– ग्राम धाबाबावड़ी,
 तहसील व जिला बड़वानी म.प्र.

### वादी / आवेदक

#### विरुद्ध

- भू-अर्जन अधिकारी महोदय / कलेक्टर महोदय लोअर गोई नहर संभाग, कार्यालय, बड़वानी,
- कार्यपालन यंत्री महोदय,
   लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर जिला बड़वानी,
- 3. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर महोदय (राजस्व) जिला कलेक्टर कार्यालय, बड़वानी

## प्रतिवादीगण / अनावेदकगण

### <u>(आदेश)</u>

# (आज दिनांक 21/04/2017 को पारित किया गया)

- 1. इस आदेश के द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39, नियम 1 एवं 2 सी.पी.सी. (आई.ए.नंबर 2), दिनांक 08.09.2016 का निराकरण किया जा रहा है।
- 2. प्रस्तुत आवेदन में आवेदक / वादी द्वारा निवेदन किया गया है कि वादी के स्वत्व एवं कब्जे की ग्राम धाबा बावड़ी प.ह.न. 24 तहसील जिला बड़वानी में स्थित सर्वे नंबर 119/2, 120/1, 120/2, 120/3, 145/2 एवं 184 पै.की रकबा 2.291 हेक्टैयर भूमि राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम दर्ज चली आ रही है (जिसे आगे सुविधा की दृष्टि से वादग्रस्त कृषि भूमि कहा जाएगा)। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादी द्वारा कई प्रकार

के वृक्ष लगाए गए है तथा टयुबवेल एवं कुआ भी स्थित है तथा उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि से ही वादी तथा उसके परिवार को आय प्राप्त हो रही है। वादी आवेदक द्वारा यह भी अभिवचन किया है कि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में आने जाने के लिए एक ही रास्ता स्थित है जो कि वादी का निजी रास्ता है तथा प्रतिवादी कं. 1 लगायत 3 के अधीन शासकीय मशीनरी द्वारा ग्राम धाबा बावड़ी प.ह.नं. के निजी भूमि / भूमियां क्यं करने के लिए प्रस्ताव किए जा रहे हैं जिस कारण वादी को अपूर्णीय क्षति वहन करने के लिए निश्चित रूप से बाध्य होना पड़ेगा क्योंकि उसके द्वारा मौखिक अथवा लिखित रूप से वादग्रस्त कृषि भूमि में से प्रतिवादीगण द्व ारा नहर परियोजना के तहत उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि क्रय विक्रय संबंधी कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है परंतु इसके पश्चात प्रतिवादीगण द्व ारा अवैधानिक रूप से नहर निकाले जाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा उनके द्वारा वादी को प्रतिवादी क्रमांक 1 के कार्यालय के कर्मचारियों के माध्यम से धमकी दिलवायी गुई है कि चाहे वादी स्वीकृति न भी दे तब भी वादग्रस्त कृषि भूमि से नहर निकाली जाएगी। उक्त के आलोक में निवेदन किया है कि वाद के लंबित रहने दौरान तथा अंतिम निराकरण तक प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेद्याज्ञा पारित की जाए कि वे वादग्रस्त कृषिभूमि में से किसी भी परियोजना के तहत कोई भी नहर नहीं निकाले तथा वादग्रस्त कृषि भूमि से वादी को बेदखल न करे तथा न ही उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के वादी के उपयोग एवं उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न करें।

- 3. उक्त आवेदन के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा कोई लिखित जवाब पेश नहीं किया गया है। परंतु मौखिक रूप से व्यक्त किया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में अभी तक कोई अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू नहीं हुई है। अतः उक्त के आलोक में वादी की ओर से प्रस्तुत उक्त आवेदन निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।
- 4. प्रकरण मे निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न है:--
  - 1- क्या वादी का मामला प्रथम दृष्टया उसके पक्ष मे है?

- 2— क्या मामले का सुविधा संतुलन वादी के पक्ष मे है?
- 3— क्या वादी को अपूर्णीय क्षिति होने की संभावना है?
  <u>विचारणीय प्रश्न कमांक 1, 2 एवं 3 पर विवेचना एवं निष्कर्षः</u>
- उक्त आवेदन के निराकरण के लिए सर्वप्रथम यह देखना है कि 5. क्या वादी का वाद प्रथम दृष्टया सुदृढ़ है अर्थात वादी का मामला प्रथम दृष्टया ऐसा होना चाहिए जिसमें जांच के लिए एक विचारणीय प्रश्न निहित हो जो साक्ष्य लेकर ही तय हो सकता है तथा उसमें वादी के विजयी होने की प्रबल संभावना हो। उक्त सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए वादी/ आवेदक द्वारा स्वंय का तथा उसके पुत्र रमेश का शपथपत्र , वादग्रस्त कृषि भूमि का वादी के रेकाडेड भूमि स्वामी होने के संबंध में खाता खसरा एवं द्रेस मेप 2015—16 की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रतिवादीगण को धारा-80 सीपी.सी. के अंतर्गत भेजे नोटिस तथा रजिस्टर्ड पोस्टल रसीदें तथा उक्त नोटिस प्रतिवादीगण को मिलने संबंधी पोस्टल रसीदें प्रस्तुत की है। उक्त के संबंध में वादी / आवेदक द्वारा तर्क किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा उसके द्वारा धारा 80 सी.पी.सी. नोटिस दिए जाने के पश्चात दिनांक 02.09.16 तथा 03.09.16 को उसे प्रतिवादी कं. 1 कार्यालय से धमकी दिलवाई की वादग्रस्त कृषि भूमि में से नहर परियोजना के तहत एक सप्ताह के भीतर नहर का कार्य प्रारंभ कर नहर निकाल देंगे भले ही वादी द्वारा इसके लिए स्वीकृति न दी हो। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि भू-अर्जन पूनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार के अधिनियम 2013 के अंतर्गत यदि शासन द्वारा कोई भूमि किसी लोक कार्य के लिए अधिग्रहित की जाती है तो भू अर्जन के प्रावधानो के अनुसार धारा 4(1) के अतर्गत अधिसूचना के प्रकाशन के उपरांत कलेक्टर धारा 6 के अंतर्गत अधिसूचना की उद्घोषणा जारी करेगा, उसके उपरांत धारा 9(1) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा राज्य की ओर भूमि के आधिपत्य लिये जाने के संबंध में लोक सूचना जारी कर हितबद्ध व्यक्तियों से प्रतिकर हेतु दावों की मांग की जावेगी। परंतु सदर वाद में वादी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है

जिससे यह माना जा सके कि प्रतिवादीगण द्वारा उसकी वादग्रस्त कृषि भूमि को अधिग्रहित करने संबंधी कार्यवाही शुरू किए जाने के कारण वादी को वादग्रस्त कृषि भूमि के उपयोग एवं उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न हुई हो या उक्त अधिग्रहण की कार्यवाही के कारण उसे अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है।

- 6. प्रतिवादीगण द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत सदर वाद का वादोत्तर प्रस्तुत करते समय वादी द्वारा धारा 80 सी.पी.सी. का उनके द्वारा दिए गए जवाब दि. 23.09.16 की छायाप्रति भी प्रस्तुत की है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी/आवेदक को लिखित में व्यक्त किया है कि उसके द्वारा आपसी सहमित नहीं दिए जाने पर उसकी भूमि आपसी सहमित के अंतर्गत कय नहीं की जाएगी, जिससे प्रथम दृष्ट्या स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा अभी तक भू—अर्जन पूनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार के अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू नहीं की गई है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि शासन वैधानिक तौर पर यदि कार्यवाही कर लोक कल्याण के लिए कोई भूमि अधिग्रहण करता है तो इसे अस्थायी व्यादेश के द्वारा रोका नहीं जा सकता। सदर प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से कहीं भी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि यदि वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध अस्थाई व्यादेश पारित नहीं किया गया तो वादी/आवेदक को अपूर्णीय क्षित होने की संभावना है।
- 7. वादी द्वारा यह वादपत्र प्रतिवादीगण द्वारा की जाने वाली समस्त भू—अधिग्रहण कार्यवाही को शून्य एवं वादग्रस्त भूमि पर बंधनकारी न होने की घोषणा एवं स्थायी निषेद्याज्ञा संबंधी प्रस्तुत किया है परंतु प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रसत कृषि भूमि के संबंध में भू—अधिग्रहरण कार्यवाही संबंधी भू—अर्जन पूनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार के अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कोई अधिसूचना आदि जारी नहीं की गई है, जिससे यह माना जा सके कि वादी के वादग्रस्त कृषि भूमि के उपयोग

तथा उपभोग में बाधा उत्पन्न हो रही है। अतः उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में वादी/आवेदक ने जो अनुतोष की मांग की है, अभिलेख पर जो साक्ष्य आई है उसके आधार पर प्रथम दृष्ट्या मामला उसके पक्ष मे प्रमाणित नहीं होता है, मामले का सुविधा संतुलन उसके पक्ष मे नही है। वादी को ऐसी कोई क्षति नहीं होने वाली है जिसकी पूर्ति न की जा सके।

8. परिणामस्वरूप, तीनों विचारणीय प्रश्न वादी के पक्ष में नहीं पाए जाने के कारण उसकी ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी., (आई.ए.नंबर 2) निरस्त किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर, घोषित किया गया. मेरे निर्देशन में टंकित किया गया

(मनोज कुमार गोयल) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 बड़वानी, जिला बड़वानी (मनोज कुमार गोयल) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 बड़वानी, जिला बड़वानी